

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTEE PART-IV EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.10(1)/Fin(Rev-I)/2013-14

Dated the _____ 2013

NOTIFICATION

No.10(1)/Fin(Rev-I)/2013-14 .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby make the rules further to amend the Delhi Excise Rules, 2010 as following, namely :-

1. Short Title and Commencement . (1) These rules may be called the Delhi Excise (Amendment) Rules 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule 152. – For sub-rule (2) of rule 152 of the Delhi Excise Rules, 2010, the following shall be substituted, namely :-

“(2) Country Liquor - Duty @ 210% of Wholesale Price”

By order and in the name of the
Lieutenant Governor of National
Capital Territory of Delhi,

(RAVINDER KUMAR)
Deputy Secretary-VI (Finance)

Dated : 17/5/13

No.10(1)/Fin(Rev-I)/2013-14 /dkv/381

Copy to :-

1. The Pr. Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Commissioner of Excise, Entertainment & Luxury Tax, L-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

3. The Secretary to Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. Web site
6. Guard file.



(RAVINDER KUMAR)
Deputy Secretary-VI (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
चौथा तल, ए-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002.

सं0फा0: 10(1)/वित्त (राज0-1)/2013-14/

दिनांक:

अधिसूचना

सं0फा0 10(1)/वित्त (राज0-1)/2013-14/ - दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्वारा दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में आगे संशोधन के लिये निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:- (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2013 कहा जायेगा।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. नियम 152 का संशोधन :- दिल्ली आबकारी नियमवली, 2010 के नियम 152, में उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
“(2) देशी शराब -शुल्क 210प्रतिशत की दर से थोक मूल्य”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)

उप-सचिव-VI (वित्त)

सं0फा0: 10(1)/वित्त (राज0-1)/2013-14/54/राज0-1/391

दिनांक: 17/5/13

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
2. आयुक्त आबकारी, मनोरंजन एवं विलासित कर, एल- ब्लाक, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली
3. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
4. सचिव, (विधि एवं न्याय) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. वेबसाइट।
6. गार्ड फाईल।

(रविन्द्र कुमार)

उप-सचिव-VI (वित्त)